भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं. भाविप्रा/सीएनओ आरटीआई/अपलोडिंग/2024/312 **दिनांक: 26.09.2024**

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी /पश्चिमी /पूर्वी / दक्षिणी/ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
नई दिल्ली /मुंबई /कोलकता/चेन्नई/गुवाहाटी

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
कोलकता /चेन्नई हवाईअड्डा,
कोलकता /चेन्नई

सभी विभागाध्यक्ष / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी-निगमित मुख्यालय।

विषय: भाविप्रा की वेबसाइट पर आरटीआई आवेदन, प्रथम अपील और उनके जवाब अपलोड करते समय आरटीआई आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखना।

महोदय,

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के स्वतः स्फूर्त प्रकटन के कार्यान्वयन हेतु डीओपीटी के दिनांक 15.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2011-आईआर के पैरा 1.4.1 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:

"सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके द्वारा बनाई गई वेबसाइटों पर कीवर्ड आधारित खोज सुविधा के साथ आरटीआई आवेदन और प्राप्त अपीलों एवं उनके उत्तरों का सक्रिय रूप से प्रकटन करना चाहिए। किसी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित आरटीआई आवेदन और अपीलों एवं उनके उत्तरों का प्रकटन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी प्रकार सार्वजनिक हित में नहीं हैं।"

इसे देखते हुए, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2013-आईआर दिनांक 21.10.2014, 23.03.2016, 07.10.2016 एवं 20.06.2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनके माध्यम से अनुरोध किया गया है कि आवेदन/अपील आदि को सार्वजनिक डोमेन/वेबसाइटों पर अपलोड करते समय आरटीआई आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी को साझा नहीं किया जाना चाहिए।

भाविप्रा वेबसाइट देखने पर पाया गया कि आरटीआई आवेदन/अपील तथा उनके उत्तरों को भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करते समय आरटीआई आवेदक के व्यक्तिगत विवरण जैसे पता, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि अपलोड किए जा रहें है, जो डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

....2/-

राजीव गांधी भवन सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24632950
Rajiv Gandhi Bhawan Safdarjung Airport, New Delhi-110003 Phone : 24632950

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन सभी सीपीआईओ/पीआईओ को सलाह दें कि वे सभी आरटीआई आवेदनों/अपीलों तथा उनके उत्तरों को डीओपीटी दिशा-निर्देशों के अनुसार **आरटीआई आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आवासीय पता, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि को दर्शाए बिना भाविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करें।**

इसके अलावा, यह भी अनुरोध है कि वे स्वतः स्फूर्त प्रकटन को कार्यान्वित करें तथा डीओपीटी के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2011-आईआर के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

26.09.2024

(प्रवीण कुमार आसीवाल)
संयुक्त महाप्रबंधक(ईएस)
आरटीआई सैल, नि.मु.

प्रति:

1. सदस्य मा सं के स.म.प्र.(ईएस)।
2. महाप्रबंधक (आईटी) –भा वि प्रा की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नोट: इस परिपत्र के अनूदित पाठ में अर्थ की दृष्टि से किसी भी विसंगति की स्थिति में अँग्रेजी पाठ को अधिकृत माना जाएगा।